




आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
<p>24.06.2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया</u></p> <p style="text-align: center;">नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं०- 41/2013-14</p> <p style="text-align: center;">घनश्याम मंडल एवं अन्य - पुनरीक्षणकर्ता <b>बनाम</b> गीता देवी एवं अन्य - उत्तरवादी</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक की ओर से मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में दाखिल विविध वाद सं० 03/2015 की प्रति के साथ मुकदमा वापस लिये जाने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।</p> <p>आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला मान्नीय मुंसफ न्यायालय में दाखिल किये जाने एवं मान्नीय मुंसफ न्यायालय में विपक्षीगणों की विविध वाद सं० 03/2015 स्वीकृत होने के पश्चात् उपस्थित हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में इस न्यायालय में दाखिल नामान्तरण पुनरीक्षण वाद को समाप्त करने का अनुरोध करते हैं।</p> <p>अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के दाखिल आवेदन एवं अनुरोध पर इस न्यायालय के पुनरीक्षण वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया एवं अंचलाधिकारी, रानीगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।</p> <p>लेखापित एवं संसोधित</p> <p style="text-align: center;"> अपर समाहर्ता अररिया</p> <p style="text-align: center;"> अपर समाहर्ता अररिया</p> <p>ज्ञापांक 95/रा०(न्या०), अररिया, दिनांक 24/06/2016</p> <p>प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया को नामान्तरण अपील वाद सं० 189/12 / 100/2013-14 (घनश्याम मंडल बनाम गीता देवी एवं अन्य) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p>अनुलग्नक : मूल अपील वाद सं० 189/12 / 100/2013-14 मूल में।</p> <p>प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को नामान्तरण वाद सं० 14/2008-09 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p>अनुलग्नक : नामान्तरण वाद सं० 14/2008-09 मूल में।</p> <p style="text-align: right;"> अपर समाहर्ता अररिया</p>	